संख्या: 1:05:138:II:सीएस
दिनांक: 21.05.2025

National Stock Exchange of India Ltd, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) **MUMBAI – 400 051.** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), **मुंबई-400 051**	**BSE Limited,** Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, **MUMBAI – 400 001.** बीएसई लिमिटेड , कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, **मुंबई-400 001**

विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम - सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार सूचना

महोदया/महोदय,

दिनांक 08.05.2025 और 16.05.2025 को हमारे पिछले संचार के क्रम में, हम सूचित करना चाहते हैं कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज यानि 21.05.2025 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया और उसे मंजूरी दी:

1. **31.03.2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित)।**
   सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33 (3) (डी) के अनुसार, हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) पर अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट (स्टैंडअलोन और समेकित) में कोई संशोधित राय व्यक्त नहीं की है।

   इसके अलावा, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित), 31 मार्च, 2025 तक परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण, उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित प्रकटीकरण, इसके साथ संलग्न हैं।

2. वित्त वर्ष **2024-25** के लिए **₹10/-** प्रत्येक के चुकता इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर **₹ _______** (रुपये **__________**पैसा**____________** मात्र) प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस की कटौती के अधीन) की दर से अनुशंसित अंतिम लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यह वित्त वर्ष **2024-25** के लिए पहले से ही घोषित और वर्ष के दौरान चार किस्तों में भुगतान किए गए **₹ 13.75** प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस की कटौती के अधीन) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। अंतिम लाभांश**,** यदि घोषित किया जाता है**,** तो आगामी एजीएम में अनुमोदन की तारीख से **30** दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा**,** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम**, 2015** के विनियमन **42** के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष **2024-25** के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए सदस्यों की पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार**, 13** जून**, 2025** तय की गई है**,** जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा **21** मई**, 2025** को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की गई थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है। हालांकि, यदि कोई शेयरधारक चाहता है कि उसका कर कम दरों पर काटा जाए या आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कोई कर नहीं काटा जाए, तो उसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पैन, फॉर्म 15जी/15एच और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति निम्नलिखित लिंक पर जमा करनी चाहिए:
https://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q-0

बोर्ड की बैठक …………. बजे शुरू हुई और ………. बजे समाप्त हुई।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com

संलग्न: उपरोक्तानुसार